COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला – गुना

III/अपील/गुना/आ० अ/2018/0978

मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड बौराली, जिला – धार (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरूद्ध

1 आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश, ग्वालियर

2 उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता ग्वालियर (म.प्र.)

3 जिला आबकारी अधिकारी जिला–गुना

4 जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड बोराली जिला–धार (म.प्र.)

-- प्रत्यर्थीगण

कार्यालय/न्यायालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/279 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/गुना/आ.अ./2018/0978

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-12-2018	अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/279 पारित आदेश दिनांक 8-1-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)13-14/518 दिनांक 22-2-2014 द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए अपीलार्थी कम्पनी को उसे प्रदाय क्षेत्र जिला गुना के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये थे । उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा जिला गुना के देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागारों पर अवधि माह अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 तक एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/279 में दिनांक 8-1-2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 60,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र जिला गुना के देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार गुना पर उपरोक्त अवधि में कुल 365 दिन, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से 91,250/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 1,51,250/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित	

किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का स्पष्ट जवाब प्रस्तुत किया गया था कि देशी स्टोरेज मद्यभाण्डागार गुना पर आवश्यकता व मांग अनुसार निरंतर मदिरा प्रदाय किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा न तो म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन किया गया है और न ही लायसेंस की शर्त का उल्लंघन किया गया है, इसलिए नियम 12(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने पर भी शासन को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है और यदि शासन को राजस्व की कोई हानि हुई है तो इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । अतः प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र जिला गुना के मद्यभाण्डागार गुना में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलो में निर्धारित संग्रह नहीं रखा गया है, अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र जिला गुना के देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार गुना पर अवधि माह अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 तक कुल 365 दिवस, एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखना अनिवार्य है । भले ही अपीलार्थी द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखने से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है । अतः

अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 60,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागार गुना में उपरोक्त अवधि में कुल 365 दिवस कांच की बोतलों में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह नहीं रखने से 250/- रूपये प्रतिदिन के मान से 91,250/- रूपये अधिरोपित करते हुए कुल 1,51,250/- रूपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 8-1-2018 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष